

From

Deputy Commissioner-cum-President,
District Red Cross Society,
Ambala.

To

The District Information Officer,
N.I.C., Ambala.

No. ANP/2017/ 38 dated 11-05-2017.

विषय:- अन्नापूर्णा प्रोजेक्ट वा कैंटीन हेतु वर्ष 2017-18 के लिये करीयाना वा अन्य सामान की सप्लाई हेतु निविदाएँ आमंत्रित करने बारे।

R/Sir,

The District Red Cross Society, Ambala invites the interested firms/persons for supply of grocery items for the use of Annapurna Project (Free Food for patients) and Canteen situated in the premises of Civil Hospital, Traume Centre, Ambala City through closed bid on the enclosed terms and conditions and auction notice.

You are requested to kindly upload the enclosed tender bid notice for supply of grocery items for the use of Annapurna Project (Free Food for patients) and Canteen situated in the premises of Civil Hospital, Traume Centre, Ambala City alongwith terms and condtions attached in the District Website i.e. www.ambala.gov.in on or before 13-05-2017.

Encls. As above.


Secretary,

For Deputy Commissioner-cum-President,
District Red Cross Society, Ambala.


11/5/17

कार्यालय अन्नापूर्णा प्रोजेक्ट मार्फत जिला रैडक्रास शाखा अम्बाला
दूरभाष नम्बर 0171-2530556

निविदा सूचना

जिला प्रशासन अम्बाला, अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट, सिविल अस्पताल, अम्बाला शहर के लिये वर्ष 2017-18 हेतु करियाना सामान एवम अन्य सामान की सप्लाई करने के लिये निविदाएं आमंत्रित है, जो कि दिनांक 19-05-2017 को 11.30 a.m. बजे तक कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला में जमा करवाई जा सकती है, निविदाएं 12.00 Noon बजे कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला में खोली जायेगी, जिसकी अवधि 31.03.2018 तक होगी। इच्छुक पार्टियां/फर्मों जिनको सामान सप्लाई करने का अनुभव है, अपने पहचान पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नीलामी में शामिल हो सकते है। इसके अतिरिक्त निविदाएं देने से पहले पार्टी/फर्मों को राशि मु0 25,000/- रु0 की राशि चैक/ड्राफ्ट जो कि "District Red Cross Society (Annapurna) के पक्ष में हो अथवा नकद जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला के कार्यालय में जमा करवानी होगी। समान सप्लाई के नियम, शर्तें एवं सूची अन्नापूर्णा प्रोजेक्ट कार्यालय ट्रामा सैन्टर, सिविल अस्पताल तथा कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला कोर्ट रोड में देखी जा सकती है व जिला प्रशासन की वेबसाईट www.ambala.gov.in पर भी उपलब्ध है।



सचिव,
जिला रैड क्रस समिति (अन्नापूर्णा)
अम्बाला।
फोन नं0 0171-2530556
मोबाईल: 9996640139.

From

Deputy Commissioner-cum-President,
District Red Cross Society, Ambala.

To

The Director General,
Information, Public Relation and Culture Affairs Deptt.,
SCO No. 23, Sec-7C, Madya Marg, Chandigarh.
Phone No. 0172-5012846//E-mail: dipraddt@gmail.com

No. ANP/2017/ 36 dated 11-05-17.


विषय:-

अन्नापूर्णा प्रोजेक्ट वा कैटीन हेतु वर्ष 2017-18 के लिये करीयाना वा अन्य सामान की सप्लाई हेतु निविदाएँ आमंत्रित करने बारे।

R/Sir,

Please find enclosed herewith a copy of "Tender Notice" for supply of grocery items for the use of Annapurna Project (Free Food for patients) and Canteen for the year 2017-18 situated in the premises of Civil Hospital, Trauma Centre, Ambala City to publish in two news papers i.e. **Dainik Bhasker (Hindi) and The Tribune (English)** on or before 13-05-2017 as per DAVP rates and send the bill for payment to Secretary, District Red Cross Society, Ambala alongwith copy of advertisement.


Encls. As above.


Secretary,
For Deputy Commissioner-cum-President,
District Red Cross Society,
Ambala.

Endst. No. ANP/2017/ 37 dated 11-05-2017.

A copy is forwarded to the District Information and Public Relation Officer, Ambala with the request to kindly coordinate in this regard under intimation to this office please.


Encls. As above.


Secretary,
For Deputy Commissioner-cum-President,
District Red Cross Society,
Ambala.

कार्यालय अन्नापूर्णा प्रोजेक्ट मार्फत जिला रैडक्रास शाखा अम्बाला
दूरभाष नम्बर 0171-2530556

निविदा सूचना

जिला प्रशासन अम्बाला, अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट, सिविल अस्पताल, अम्बाला शहर के लिये वर्ष 2017-18 हेतु करियाना सामान एवम अन्य सामान की सप्लाई करने के लिये निविदाएं आमंत्रित है, जो कि दिनांक 19-05-2017 को 11.30 a.m. बजे तक कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला में जमा करवाई जा सकती है, निविदाएं 12.00 Noon बजे कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला में खोली जायेगी, जिसकी अवधि 31.03.2018 तक होगी। इच्छुक पार्टिया/फर्मों जिनको सामान सप्लाई करने का अनुभव है, अपने पहचान पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नीलामी में शामिल हो सकते है। इसके अतिरिक्त निविदाएं देने से पहले पार्टी/फर्मों को राशि मु0 25,000/- रु0 की राशि चैक/ड्राफ्ट जो कि "District Red Cross Society (Annapurna) के पक्ष में हो अथवा नकद जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला के कार्यालय में जमा करवानी होगी। सामान सप्लाई के नियम, शर्तें एवं सूची अन्नापूर्णा प्रोजेक्ट कार्यालय ट्रामा सैन्टर, सिविल अस्पताल तथा कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला कोर्ट रोड में देखी जा सकती है व जिला प्रशासन की वैबसाईट www.ambala.gov.in पर भी उपलब्ध है।



सचिव,

जिला रैड क्रस समिति (अन्नापूर्णा)

अम्बाला।

फोन नं0 0171-2530556

मोबाईल: 9996640139.

सूची सामान

क्र०स०	आईटम का नाम	अनुमानित मासिक डिमांड	ब्रांड के नाम	मूल्य रूपों में, जो कि फर्म द्वारा दिया जाना है।				
				ब्रांड मूल्य सहित	ब्रांड मूल्य सहित	ब्रांड मूल्य सहित	ब्रांड मूल्य सहित	ब्रांड मूल्य सहित
1.	आटा	400 कि०ग्रा०	शक्ति भोग/पंतजलि/आर्शिवाद					
2.	चावल	30 कि०ग्रा०	परमल (एफ.सी.सी.आई. प्रमाणित)					
3.	मूंग दाल	50 कि०ग्रा०	टाटा/पंतजलि व एफ.सी.सी.आई. प्रमाणित					
4.	मूंग दाल धूली	40 कि०ग्रा०	टाटा/पंतजलि व एफ.सी.सी.आई. प्रमाणित					
5.	लाल मसूर	30 कि०ग्रा०	टाटा/पंतजलि व एफ.सी.सी.आई. प्रमाणित					
6.	मसूर साबूत	40 कि०ग्रा०	टाटा/पंतजलि व एफ.सी.सी.आई. प्रमाणित					
7.	चना दाल	40 कि०ग्रा०	टाटा/पंतजलि व एफ.सी.सी.आई. प्रमाणित					
8.	दलिया प्लेन	400 ग्राम के 200 पैकेट।	मदर चॉयस/पंतजलि व एफ.सी.सी.आई. प्रमाणित					
9.	चीनी	200 कि०ग्रा०	एगमार्क/यमुनानगर/नारायणगढ़/शहाबाद शुगर मिल मार्का।					
10.	चायपत्ती	15 कि०ग्रा०	टाटा/गुडरिफ/रेड लेबल/मारवल					
11.	रिफाईंड तेल	20 लिटर	फोर्बुन/गगन/महाकोप/गिन्नी					
12.	हल्दी	5 कि०ग्रा०	एम.डी.एच./कैच/पंतजलि					
13.	नमक आयोडिन	15 कि०ग्रा०	टाटा/पंतजलि					
14.	बर्तन धोने का साबून	12 पैकेट	विम बार/निप/पंतजलि					
15.	स्टील बूल	12 पीस	स्टील बूल/स्कोच ब्राईट					
16.	जीरा	3 कि०ग्रा०	एम.डी.एच./पंतजलि					
17.	अगरबत्ती	12 पीस	देवदर्शन/लिया/साईकिल					
18.	बादाम	8 कि०ग्रा०	एफ.सी.सी.आई. प्रमाणित					
19.	सोयाबीन चूरा (न्यूट्रीला)	3 कि०ग्रा०	रूचि/फोर्बुन/एम.डी.एच./मार्कफैड					
20.	डस्टर	10 पीस	खूले					
21.	पेपर लिफाफा	18 पैकेट 100 ग्राम	खूले					
22.	नैपकिन पीना	10 पीस	खूले					
23.	गर्म मसाला	3 कि०ग्रा०	एम.डी.एच./कैच/पंतजलि					
24.	जूस	As per requirement.	रियल जूस/एप्पी जूस/फुटी/माजा/स्लाईस					
25.	कोल्ड ड्रिंक	As per requirement.	पैप्सी/कोका-कोला					
26.	पानी की बोतल	As per requirement.	बिसलेरी/किनले					
27.	चिप्स	As per requirement.	लेज/कुरकरे					
28.	सिल्वर फोयल वा अन्य डिस्पोजल सामान	As per requirement.	फैस रैप/वण्डर रैप/ होम रैप / फूड रैप					
29.	बिस्कूट पैकेट	As per requirement.	ब्रिटनिया/प्रिया गोल्ड/पंतजलि/सन फिस्ट/किमोका					
30.	फिनाईल	As per requirement.	गैडा छाप व अन्य आई.एस.आई. मार्का					

“Annexure-D”

निविदा हेतु नियम वा शर्तों:-

1. निविदा की अवधि 31.03.2018 तक के लिये होगी।
2. फर्म/होल-सेल विक्रेता द्वारा निविदा हेतु फार्म कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाईटी अन्नापूर्णा मुबलिंग 1000/- रुपये की राशि से प्राप्त करना होगा, जिसकी राशि नॉन रिफंडेबल होगी।
3. फर्म/होल-सेल विक्रेता सामान सप्लाई के लिये वैध होगी।
4. फर्म/होल-सेल विक्रेता के पास अपना TIN/PAN नम्बर वा अन्य कागजात पूर्ण होने चाहिये, जिसकी स्वयंस्त्यापित फोटोप्रतियां फार्म के साथ संलग्न की जानी है।
5. निविदा में हिस्सा लेने के लिये फर्म/होल-सेल विक्रेता के पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये, जिसके लिये उसे पिछले तीन वर्ष की रिटर्न की प्रतियां निविदा फार्म के साथ जमा करवानी होगी।
6. निविदा हेतु कूटेशन फार्म भरकर सभी कागजात सहित बंद लिफाफे में टेंडर आमंत्रित करने की तिथि से दिनांक 19-05-2017 को 11.30 am तक कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला में जमा करवाना होगा।
7. फर्म/होल-सेल विक्रेता द्वारा कार्यालय द्वारा सामान का परचेज आर्डर प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर-2 सामान की सप्लाई देने के लिये बाध्य रहेगा।
8. फर्म/होल-सेल विक्रेता को किसी भी सूरत में एड्वास राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा और ना ही फर्म द्वारा इस प्रकार की मांग की जायेगी।
9. फर्म/होल-सेल विक्रेता द्वारा निर्धारित रेट पर सामान की सप्लाई नागरिक अस्पताल, अम्बाला शहर में उपलब्ध करवानी होगा, जिसके लिये किसी प्रकार का अन्य चार्जज कार्यालय द्वारा नहीं दिये जायेंगे।
10. फर्म/होल-सेल विक्रेता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सामान वा सम्बन्धित ब्रांड की सूचि कार्यालय में देखी जा सकती है, संलग्न सूचि में चिन्हित ब्रांड के अलावा अन्य ब्रांड का सामान रिस्वीव नहीं किया जायेगा।
11. निविदा में हिस्सा लेने हेतु मु0 25 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट District Red Cross Society Ambala Annapurna के नाम अथवा नकद जमा करवाना होगा।
12. नीलामी में हिस्सा लेने हेतु व्यक्तियों/फर्मों/होल-सेल विक्रेता को अपना पहचान पत्र से सम्बन्धित दस्तावेज लाना जरुरी होगा, जिसमें पैन कार्ड, टिन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि शामिल हैं।
13. यह कि ठेका अवधि वर्ष 2017-18 (upto 31-03-2018) तक के लिए होगी।
14. निर्धारित मूल्य व समय पर सामान सप्लाई प्राप्त ना होने की स्थिति में ठेका/टेंडर रद्द करने के लिये माननीय उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास सोसाईटी अन्नापूर्णा को पूर्ण अधिकार होगा।
15. टेंडर रद्द होने के स्थिति में फर्म की जमानत राशि मुबलिंग 25,000/- रुपये जन्त कर ली जावेगी।
16. फर्म/होल-सेल विक्रेता द्वारा केवल ब्रांडिड, अच्छी गुणवता व FSSAI से प्रमाणित खाद्य सामग्री ही सप्लाई की जायेगी।
17. यदि किसी अवस्था में यह पाया जाता है कि सप्लाई किये गये सामान अच्छी गुणवता/ब्रांड की नहीं पाया जाता तथा इन खाद्य वस्तुओं से उपयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो ठेका अवधि तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।
18. इस टेंडर/ठेके के लिए उपरोक्त नियम व शर्तों में बिना किसी सूचना के अन्य शर्तें जोड़ने तथा बदलाव करने का अधिकार उपायुक्त, अम्बाला को होगा।
19. यदि कभी ऐसा पाया गया कि ठेकेदार उपरोक्त शर्तों व नियमों की अवहेलना कर रहे हैं तथा इनका व्यवहार कार्यालय कर्मचारियों के साथ ठीक नहीं है तो उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास शाखा अम्बाला को बिना किसी सूचना के ठेका अवधि को तुरन्त रद्द करने का अधिकार होगा।
20. यह कि यदि किसी प्रकार का कोई झगड़ा या झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति/झगड़े को सुलझाने में प्रथम अपीलीय अधिकारी उप मण्डल अधिकारी (ना0), अम्बाला शहर होंगे तथा अंतिम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी उपायुक्त, अम्बाला होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा। इस अधिकार के तहत उपायुक्त अम्बाला को अन्नापूर्णा प्रोजेक्ट से सम्बन्धित नियम व शर्तों में बदलाव व अन्य शर्तें जोड़ने का एकाधिकार होगा तथा किसी भी पक्ष को उपायुक्त अम्बाला के एकाधिकार को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।